



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58580

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 3701 सन् 2026

अभिनंदन यादव

...याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 3 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : परवेश कुमार पांडे, सर्वेश कुमार पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : रवि प्रकाश सिंह, ए.एस.जी.आई.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के. पांडे और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह की दलीलें सुनी गई।
 2. इस न्यायालय ने दिनांक 18.03.2026 को वर्तमान रिट याचिका पर सुनवाई की और प्रत्यर्थीगण से निर्देश मांगे। इसके बाद निर्देश प्रस्तुत किए गए, जिन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अभिलेख में शामिल किया गया है।
 3. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश सिंह ने कहा है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और मामले पर बहस करने में सक्षम हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय शुरुआती स्तर पर ही किया जा रहा है।
 4. रिट याचिकाकर्ता का कहना है कि अग्निवीर पद पर भर्ती होने के लिए पूर्णतः पात्र और योग्य होते हुए भी उन्होंने भारतीय सेना में अग्निवीर (सामान्य सेवा) पद के लिए आवेदन किया और उन्हें जेआईए रोल नंबर एलयूसी-यूटीटी-वीएआर-एवीटीटी- 2025_100283 आवंटित किया गया। परीक्षा दिनांक 04.07.2025 को निर्धारित थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनका चयन हो गया था। याचिकाकर्ता ने अपने चरित्र को प्रमाणित करने वाला शपथपत्र भी प्रस्तुत किया
- अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए, दिनांक 16.01.2026 के आदेश द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई।

5. इसी पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि चुनौती दी गई याचिका न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, क्योंकि याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय और अवसर के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि, कारण बताओ नोटिस जारी करने और तामील कराने की तारीख का कोई उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनौती दी गई याचिका न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

7. प्रत्यर्थागण की ओर से उपस्थित श्री प्रेम नारायण राय ने अपने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को 24.12.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता ने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए 01.01.2026 को दूसरा और अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और चूंकि याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिसों का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए 16.01.2026 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

8. मैंने बार की ओर से दिए गए सभी दलीलों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

9. रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने का दिनांक 16.01.2026 का आदेश नीचे दिया गया है।- "टेली: 0542-2506655

एनी री... कार्यालय वाराणसी

वाराणसी छावनी

वाराणसी (यूपी) 221002

1406/आरजी. आर2 16 जनवरी 2026

आरएमडीएस नंबर 30522

अभिनंदन यादव पुत्र शिवमूरत यादव

ग्राम- महवर मुरार सिंह पोस्ट धोतान जिला. गाज़ीपुर, पिन 277001(यूपी)

उम्मीदवारी रद्द करना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. रोल नंबर एलयूसी यूटीटी वीएआर एवीटीटी 2025 100203 नाम अभिनंदन यादव पिता का नाम शिवमूरत यादव आरएसडीएस नंबर 30522 ग्राम- हटवार मुरार सिंह पोस्ट- ढोटन जिला गाज़ीपुर, पिन 277001 (यूपी)।

2. अग्निवीर की 2025-26 की भर्ती अधिसूचना के अनुसार, अनिवार्य दस्तावेजों में से एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र था। रैली के दौरान आपने इसे प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि मानवीय आधार पर आपको रैली में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। आपको पर्याप्त समय और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद, प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पहले पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की चेतावनी दी गई थी, यदि चयनित उम्मीदवारों की सूची में आपका नाम आता है।

3. आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है और अग्निवीर पद के लिए आवश्यक योग्यताओं को पूरा करने वाले नए उम्मीदवार का चयन आपके स्थान पर किया जाएगा।

10. प्रत्यर्थागण द्वारा दिनांक 16.01.2026 को पारित आदेश को देखने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द की गई थी कि पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया।

11. महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसमें उस तारीख का कोई उल्लेख नहीं है जिस दिन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता को तामील कराया गया। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पूरी तरह से मौन है जो मामले की जड़ तक जाता है। याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ संख्या 22 में दावा किया है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन श्री रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि कारण बताओ नोटिस और अंतिम कारण बताओ नोटिस याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तामील कराया गया था। चूंकि, यह स्पष्ट नहीं है चुनौती दिए गए आदेश में यह बात स्पष्ट नहीं है कि कारण बताओ नोटिस किस तिथि को जारी और तामील किया गया था, इस प्रकार उक्त विसंगति मामले की जड़ तक जाती है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने का प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांक 16.01.2026 को पारित आदेश रद्द किया जाता है;

(ख) चूंकि दिनांक 24.12.2025 का कारण बताओ नोटिस और दिनांक 01.01.2026 का दूसरा और अंतिम कारण बताओ नोटिस अब याचिकाकर्ता के संज्ञान में है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिए गए निर्देशों का अभिन्न अंग है, इसलिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनांक 24.12.2025 और 01.01.2026 के कारण बताओ नोटिस का दिनांक 10.04.2026 तक उत्तर दें और उक्त उत्तर पर सक्षम प्राधिकारी इसके बाद दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक विशिष्ट आदेश पारित करें।

13. मात्र इस कारण कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने वाला दिनांक 16.01.2026 का आदेश निरस्त कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को प्राधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेशों के अधीन पुनः नियुक्ति या कार्यभार ग्रहण करने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

14. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।